

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, भोपाल, म०प्र०।

77

पुनरीक्षण प्रकरण क्र...../17

PBR/अगरानी/भोपाल/भू०२१०/२०१७/३३३८

Entry 17

एस०ओ०एस० चिन्डन्स विलेज आफ इण्डिया,
शाखा भोपाल द्वारा बलग्राम प्रभारी

श्री दीपक सक्सैना आत्मज स्व० श्री जे० पी० सक्सैना,
आयु वयस्क, ग्राम खजूरीकलॉ, तहसील हुजूर, भोपाल।

..... आवेदक

विरुद्ध

लतीफ खॉ आत्मज स्व० श्री पीर खॉ, आयु वयस्क,
निवासी- ग्राम खजूरीकलॉ, तहसील हुजूर, भोपाल।

..... अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना प्रशासन एम०पी० नगर
वृत भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/4-15 मे किये गये सीमांकन एवं पारित
आदेश दिनांक 05-05-2015, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को बिना सूचना
दिये मनमाने तरीके से सीमांकन कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा लेख किया है, से दुःखी होकर
अपीलार्थी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है-

अपील के तथ्य-

1. यह कि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 873, 872, 847, 875, 881/2, 882, 883, कुल रकवा 70.70 एकड़ भूमि ग्राम खजूरीकला तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। आवेदक की उक्त भूमि के साथ ही अनावेदक के स्वत्व आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 876/2/1, रकवा 0.607 हैक्टेयर भी अवस्थित है। अनावेदक ने उसके स्वत्व की उपरोक्त भूमि के सीमांकन हेतु एक आवेदन विद्वान राजस्व निरीक्षक के समक्ष किया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक महोदय ने आवेदक को सूचना दिये बिना, मनमाने एवं बनावटी आधार पर दिनांक 05-05-2016 को कथित सीमांकन कार्यवाही निष्पादित कर इस आशय का प्रतिवेदन

श्री लतीफ खॉ
द्वारा 21-8-17
दिनांक 24-8-17




न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2017/3338

जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	<p>प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, नजूल एम.पी. नगर वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, नजूल एम.पी. नगर वृत्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है ।</p> <p>कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म०प्र० भू०रा० सं० की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>